

उपायुक्त
प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 06 वर्ष 2016

1. मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री राजेश कुमार पंजीकृत कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, ग्राम गणपतपुरा वाया मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर, कृष्णा देवी पत्नी श्री दौलतराम, लता देवी पत्नी रतनलाल, किशनदेवी पत्नी श्री नथोलीराम, जरिये मुखत्यारआम श्री रतनलाल जाजू पुत्र श्री गोविन्दराम जाजू जाति जाटव निवासी प्लॉट नं. 24, भगवती नगर द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर।

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश


मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

- (1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	आवेदक खातेदार का नाम	क्षेत्र
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	सरंगपुरा	ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के ख.नं. 255 रकबा 0.46 हैक्ट. ख.नं. 256/1 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 257/1 रकबा 1.02 हैक्ट. ख.नं. 259/799 रकबा 0.07 हैक्ट. ख. नं. 265 रकबा 0.41 हैक्ट. ख.नं. 267 रकबा 1.49 हैक्ट. ख.नं. 268 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 269 रकबा 0.60 हैक्ट. ख.नं. 274 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 274/710 रकबा 1.32 हैक्ट. में से रकबा 1.28 हैक्ट. ख.नं. 276/807 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 277 रकबा 0.65 हैक्ट. ख.नं. 277/802 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 278 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 279 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 280 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 281 रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 282 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 283 रकबा 1.24 हैक्ट. ख.नं. 283/801 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 284 रकबा 0.53 हैक्ट. ख.नं. 284/800 रकबा 0.13 हैक्ट. किता 22 रकबा 8.74 हैक्ट.	मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, ग्राम गणपतपुरा वाया मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर आवेदक का नाम:- मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री राजेश कुमार पंजीकृत कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, ग्राम गणपतपुरा वाया मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर	कुल किता 23 कुल रकबा 10.00 हैक्ट.
	सरंगपुरा	ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के ख.नं. 213/1 रकबा 1.29 हैक्ट. में से 1.26 हैक्ट. किता 1 रकबा 1.26 हैक्ट.	कृष्णा देवी पत्नी श्री दौलतराम, जाति जाटव, हि. 1/2 निवासी जाटव मोहल्ला, खैरथल, जिला अलवर, लतादेवी पत्नी रतनलाल, जाति जाटव, हि. 1/4 नि. प्लॉट नं. 24, भगवती नगर-द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर, किशनदेवी पत्नी श्री नथोलीराम, जाति जाटव, हि. 1/4 नि. गंगा मंदिर के पास, देहली दरवाजा, अलवर आवेदक का नाम:- कृष्णा देवी पत्नी श्री दौलतराम, लता देवी पत्नी रतनलाल, किशनदेवी पत्नी श्री नथोलीराम, जरिये मुखत्यारआम श्री रतनलाल जाजू पुत्र श्री गोविन्दराम जाजू जाति जाटव निवासी प्लॉट नं. 24, भगवती नगर द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर	

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

उपायुक्त जोन-1!
जयपुर



उपायुक्त जोन-11
नयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बचाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के ख.नं. 255 रकबा 0.46 हैक्ट. ख.नं. 256/1 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 257/1 रकबा 1.02 हैक्ट. ख.नं. 259/799 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 265 रकबा 0.41 हैक्ट. ख.नं. 267 रकबा 1.49 हैक्ट. ख.नं. 268 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 269 रकबा 0.60 हैक्ट. ख.नं. 274 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 274/710 रकबा 1.32 हैक्ट. में से रकबा 1.28 हैक्ट. ख.नं. 276/807 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 277 रकबा 0.65 हैक्ट. ख.नं. 277/802 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 278 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 279 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 280 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 281 रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 282 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 283 रकबा 1.24 हैक्ट. ख.नं. 283/801 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 284 रकबा 0.53 हैक्ट. ख.नं. 284/800 रकबा 0.13 हैक्ट. किता 22 रकबा 8.74 हैक्ट. मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, ग्राम गणपतपुरा वाया मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर एवं ग्राम सारंगपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के ख.नं. 213/1 रकबा 1.29 हैक्ट. में से 1.26 हैक्ट. किता 1 रकबा 1.26 हैक्ट. कृष्णा देवी पत्नी श्री दौलतराम, जाति जाटव, हि. 1/2 निवासी जाटव मौहल्ला, खैरथल, जिला अलवर, लतादेवी पत्नी रतनलाल, जाति जाटव, हि. 1/4 नि. प्लॉट नं. 24, भगवती नगर-द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर, किशनदेवी पत्नी श्री नथोलीराम, जाति जाटव, हि. 1/4 नि. गंगा मंदिर के पास, देहली दरवाजा, अलवर की भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदकगण द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमीयम् नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28/11/16 को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी जौन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
उपायुक्त जौन-11
दिनांक ज.वि.प्रा., जयपुर

सं. 3341

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री राजेश कुमार पंजीकृत कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, ग्राम गणपतपुरा वाया मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर, कृष्णा देवी पत्नी श्री दौलतराम, लता देवी पत्नी रतनलाल, किशनदेवी पत्नी श्री नथोलीराम, जरिये मुखत्यारआम श्री रतनलाल जाजू पुत्र श्री गोविन्दराम जाजू जाति जाटव निवासी प्लॉट नं. 24, भगवती नगर-द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर।



प्राधिकृत अधिकारी जौन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर
दिनांक 22.11.16

प्राधिकृत अधिकारी जौन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर